

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर०ए०एस०

राजस्व अपील संख्या 41/2010

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोजेण्ट्स
1. बीजाराम पुत्र पोकरराम		1. अमरचन्द पुत्र धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी चण्डावल
2. मंगलाराम पुत्र पोकरराम		2. बाबुलाल पुत्र धन्नाराम के का०मु०
3. भंवरी बेवा पोकरराम जातिगण कुम्हार निवासीगण चण्डावल तहसील सोजत		2.1 प्रभूराम पुत्र बाबुलाल 2.2 मोतीलाल पुत्र बाबुलाल 2.3 गोविन्द पुत्र बाबुलाल 2.4 लेरी बेवा बाबुलाल जातिगण कुम्हार निवासीगण चण्डावल
		3. तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट  
रेस्पोजेण्ट्स अनुपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 29.11.2018

—0—

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोजेण्ट के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 138/2006 बीजाराम वगैरा बनाम अणची वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2010 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। रेस्पोजेण्ट बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। अतः रेस्पोजेण्ट के विरुद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी धन्नाराम पुत्र जीता जाति कुम्हार निवासी चण्डावल की खातेदारी भूमि थी। धन्नाराम के तीन पुत्र पोकरराम, अमरचन्द एवं बाबुलाल हैं, जिनमें से पोकरराम व बाबुलाल फौत हो चुके हैं। धन्नाराम की पत्नी अणची भी फौत हो चुकी है। धन्ना फौत होने पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया, वह एकमात्र अणची के नाम दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को होने पर उनके द्वारा न्यायालय

१  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत की, जिसमें नामान्तरकरण अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सोजत को पुनः जांच पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया, जिसमें तहसीलदार सोजत द्वारा अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण दायर नहीं किया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिस अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए विधि विरुद्ध रूप से खारिज कर दिया। रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा दौराने वाद अणची से उक्त भूमि के सम्बन्ध में वसीयतनामा स्वयं के पक्ष में निष्पादित करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय वसीयत को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया है, जबकि वसीयत साबित ही नहीं हुई। इस अनुरूप अणची को बेचान अथवा वसीयत करने का अधिकार ही नहीं था। चूंकि भूमि पुश्तैनी थी, जिसमें अपीलाण्ट का भी 1/3 हक हिस्सा निहित था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दृष्टिगोचर ही नहीं किया। अणची को केवल भरण पोषण हेतु वसीयत की गई है। वसीयत में जिन गवाहों की साख अंकित है, उन्होंने वसीयत में वर्णित तथ्यों की ताईद नहीं की तथा उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि भरण पोषण हेतु ही वसीयत निष्पादित की गई है, इस अनुरूप कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इन समस्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेखांकित ही नहीं किया तथा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए वादीगण/अपीलाण्ट्स का वाद खारिज किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 1994 (एस.सी.) पेज 128, ए0आई0आर0 2004 (राज.) पेज 286, डी0एन0जे0 2006 (एस.सी.) पेज 865 तथा ए0आई0आर0 2006 (एस.सी.) पेज 1993 का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी अपनी पुश्तैनी होने के कारण पर जैर अपील विवादित आराजी में से अपने हक हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा। रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता को धनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ग्राम छीतरिया में स्थिति भूमि प्रदान की जा चुकी थी, जो उसके बंट से अधिक थी। इसके पश्चात धनाराम द्वारा जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक वसीयतनामा निष्पादित किया है, जो अणची के पक्ष में निष्पादित किया। अणची द्वारा वसीयतनामा निष्पादित करते हुए उक्त आराजी रेस्पोंडेन्ट्स को प्रदान की है, जिसके आधार पर रेस्पोंडेन्ट्स खातेदार काश्तकार है। चूंकि पूर्व में जो नामान्तरकरण एवं वसीयतनामा तहरीर हुआ है, वह अपीलाण्ट के पति/पिता की सहमति से निष्पादित किए गए हैं, जिससे वे एस्टोपड है। अतः वादीगण का वाद खारिज कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित कुल 7 तनकीयात कायम की गई, जो निम्नानुसार है -

2  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

1. आया कि वादग्रस्त आराजी वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा शेष 3/4 हिस्सा प्रतिवादीगण का है, इसलिए वादी विवादग्रस्त भूमि 1/4 हिस्सा खातेदारी पाने का अधिकारी है ?
2. आया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का निरन्तर कब्जा काशत होने से वादी विरुद्ध प्रतिवादी के स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?
3. आया कि विवादग्रस्त आराजी मृतक धनाराम ने प्रतिवादी 4 को जरिये वसीयत दिनांक 07.02.1990 को दी है ?
4. आया कि म्यूटेशन अपील रिमाण्ड होने के बाद तहसीलदार द्वारा वैधिक वारिशान की जांच कर दिनांक 27.03.1998 को म्यूटेशन स्वीकृत किया गया ?
5. आया वादी की खसरा नम्बर 2041, 2040/2560 में 1/4 हिस्सा खातेदारी का है ?
6. आया कि वादीगण के पिता पोकरराम ने पूर्व बंट माफिक जमीन प्राप्त की है ?
7. अनुतोष ?

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मुख्य रूप से विवादित प्रश्न था, वह यह प्रकट होता है कि जिस वसीयतनामा के जरिये भूमि अणची के नाम दर्ज हुई अथवा अणची को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हुए, उस वसीयतनामा के आधार पर अणची उक्त विवादित आराजी की पूर्ण मालिक (Absolute Owner) थी अथवा नहीं, जिसे भूमि के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार हो ? इस तथ्य के आधार पर वसीयतनामा विधिक परीक्षण का मोहताज था। प्रकरण में धनाराम द्वारा अणची के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा ई0एक्स0डी0 2ए है, जिसका अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि धनाराम द्वारा अपनी पत्नी के पक्ष में जो वसीयत की है, उसमें दो गवाह मोहनलाल व शिवराम की साख अंकित है। वसीयतनामा में अंकित इबारत अनुसार उक्त आराजी धनाराम द्वारा अपनी पत्नी अणची के गुजारा हेतु उसके पक्ष में वसीयत की है। वसीयतनामा में अंकित तथ्यों के अनुक्रम में विधिक परीक्षण करने पर इस बिन्दु के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा जो अभिमत प्रकट किए गए हैं, उनका विश्लेषण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0एन0जे0 (एस.सी.) 1994 पेज 128 में सिविल अपील संख्या 1361/1996 में दिनांक 11.02.1994 को निर्णय पारित करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 (1), (2) व धारा 30 की निम्न प्रकार से व्याख्या की है "Hindu Succession Act, 1956, Sections 14(1) and (2) and 30 - Acquisition of property under a Will by Hindu female - Whether the testamentary disposition of property by a male Hindu by a Will which comes into operation after 1956, creating life interest in favour of his widow, subsists as such after his death or she becomes an absolute owner by operation of Section 14(1) read with the explanation - Held, if a female Hindu acquires possession after enforcement of Succession Act and that possession was traceable to an instrument or a document described in Sub-Section 2 then she could not get higher right than what is stipulated in the document itself - The purpose and legislative intention which surfaces from a combined reading of two sub-sections is that it attempts to remove disability which was imposed by Customary Hindu Law on acquisition of rights by a female Hindu - But it does not enlarge or enhance the right which she gets under a Will giving her a limited estate under Section 30 of the Act."



9  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
माली

इसको विस्तारित करते हुए पैरा संख्या 11 व 12 में जो विश्लेषण किया गया है, वह इस प्रकार है " 11. Acquisition of property under a will is not mentioned under Sub-section (1). It squarely falls under sub-section (2). Would it make any difference if the testator after coming into force of the Act creates a restricted estate and provides for maintenance under the will ? Can it be said to fall under any of the clauses mentioned in the explanation appended to Sub-section (1).

12. Section 14 reads as under :

"Section 14 - Property of a female Hindu to be her absolute property. - (1) Any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this Act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner.

Explanation. - In this sub-section, 'property' includes both movable and immovable property acquired by a female Hindu by inheritance or devise, or at a partition, or in lieu of maintenance or arrears of maintenance, or by gift from any person, whether a relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as stridhan immediately before the commencement of this Act.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribe a restricted estate in such property."

The explanation widens the ambit of sub-section (1) and extends it to any acquisition mentioned in it and by the first part the operation of sub-section (1) is extended to both moveable and immoveable properties. The second part then enumerates the manner of acquisition. It includes inheritance and devise; partition; in lieu of maintenance or arrears of maintenance; gift from any whether relation or not before, at or after her marriage; by her own skill or exertion; by purchase; by prescription; in any manner whatsoever; property held by her as stridhan immediately before the commencement of this Act. It does not include acquisition by will. That is in conformity with Section 30 of the Act. Otherwise it would have given rise to conflict between the property disposed of by a Hindu by a will creating limited interest and the acquisition of interest by a female under Section 14(1). None of these acquisitions are capable of creating any difficulty. But the acquisition in lieu of maintenance or arrears of maintenance and in any manner whatsoever needs elucidation. Use of words 'in lieu of' or 'arrears of' appear to be significant. The legislature as explained earlier was aware of absolute power of a Hindu to bequeath his property. But this right did not exist in joint family property or in various other properties under customary law. That has now been specifically recognised by Section 30. A Hindu can bequeath his interest even in joint Hindu property. But what is its effect on the right of his widow if the testator gives only right of maintenance. Can it be said to be in lieu of maintenance ? The answer is simple. The legislature then would have used the words, 'for maintenance' and not instead of 'or in lieu of maintenance'. That could not have been the purpose. Under the Act, a female unlike customary law is an heir. She inherits the property in her own right. The expression 'in lieu of maintenance' or 'arrears of maintenance' would thus become inapplicable. Apart from it a right of maintenance under a will after 1956 would fall under sub-section (2) as even on ratio in Tulasamma it would be creation of right for the first time and not in recognition of



9  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

preexisting right. Even the expression in any manner whatsoever cannot be of any help for deciding the right and interest of a female Hindu acquired under a will. The expression is no doubt very wide but its width cannot be extended to those acquisitions which are specifically dealt with by Sub-section (2). Its operation has to be confined to such an acquisition which is not covered by sub-section (2) or any of the clauses of the explanation. It is true that the explanation is not exhaustive as is clear from the use of the word 'includes' but its ambit cannot be stretched so as to nullify the effect of sub-section (2). A reading of the two sub-sections together indicates that even though the law was revolutionised and a female Hindu was made an absolute owner in respect of any property acquired by her either before or after the date of enforcement of the Act yet the law did not intend to confer a higher and better right than what was enjoyed by a male Hindu. In Tulasamma case<sup>8</sup> it was held by this Court that a female Hindu could acquire rights under Section 14(1) only if she was possessed of the property and that possession was by some legal authority. To put it differently a trespasser or a female Hindu who cannot establish any right in the property of which she was possessed could not acquire any right. (Eramma v. Verrupanna, 1966(2) SCR 626; Kuldip Singh v. Surain Singh, 1968(2) Andhra Law Times 224 and Dindayal v. Rajaram, AIR 1970 Supreme Court 1091). It necessarily follows that the possession must be founded on some basis which may be acceptable in law and the right that she acquires under Section 14 depends on the nature of possession she enjoyed over the property. Consequently if a female Hindu acquires possession after the enforcement of the Succession Act and that possession was traceable to an instrument or a document described in sub-section (2) then she could not get higher right than what is stipulated in the document itself. The purpose and the legislative intention which surfaces from a combined reading of the two sub-sections is that it attempts to remove the disability which was imposed by the customary Hindu Law on acquisition of rights by a female Hindu but it does not enlarge or enhance the right which she gets under a will giving her a limited estate under Section 30 of the Act."


हस्तगत प्रकरण में जहां तक धनाराम द्वारा अणची के पक्ष में निष्पादित वसीयत का अणची के पूर्ण मालिक (Absolute Owner) होने का प्रश्न है, तो यह बिन्दु भी विवादित है, जिसे अपीलाण्ट द्वारा पूर्ण मालिक नहीं होना बताते हुए पूर्ण मालिक (Absolute Owner) की हद तक वसीयत को Deny किया है, वहीं रेस्पोजेन्ट द्वारा अणची को पूर्ण मालिक (Absolute Owner) मानते हुए उसके द्वारा निष्पादित वसीयत को निर्विवादित होना बताया, जिसके आधार पर रेस्पोजेन्ट के नाम भूमि बतौर खातेदारी प्राप्त हुई है। पति द्वारा अपनी पत्नी के पक्ष में निष्पादित वसीयत में अंकित इबारत अनुसार भूमि के पूर्ण मालिक (Absolute Owner) होने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी. एन.जे. (एस.सी.) 2006 पेज 865 साधुसिंह बनाम गुरुद्वारा शाहिब वगैरा में यह व्यवस्था प्रदान की है कि " Hindu Succession Act, 1956, Sections 30, 14(1) and 14(2) - Will by a person in respect of properties of which he was absolute owner - Will stipulated that after his death his wife so long as she remains alive will be the absolute owner of all his properties and after her death, the rights over the property would be inherited by his two nephews - Testator added in the Will that she will not be entitled to mortgage or sell the properties during her life time - Held, wife acquired only life estate - Wife donated the property to Gurdwara - Donation is not valid - Decree for eviction of Gurdwara passed." इस प्रकार जैर


राजस्व अपील प्राधिकरण  
पाली

अपील विवादित आराजी के पूर्ण मालिक (Absolute Owner) होने बाबत विधिक तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई एवं न ही इसका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 (1), (2) व धारा 30 के तहत इसका विधिक परीक्षण किया गया, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 138/2006 बीजाराम वगैरा बनाम अणची वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2010 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के अनुसार पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत वसीयतनामा की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 (1), (2) व धारा 30 एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18, 21 व 22 के परिप्रेक्ष्य में जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
पाली